न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

सुमेर पुत्र मानिक जाति मीना निवासी रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली–अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–21.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 2–05 बीघा ग्राम छावर तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 2–05 बीघा ग्राम छावर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2049–52 तक के खाता संख्या 170 किस्म बारानी–2 श्री सुमेर पुत्र मानिक जाति मीना निवासी रतियापुरा के नाम जरिए आवंटन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में श्री सुमेर पुत्र मानिक जाति मीना निवासी रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 2–05 बीघा बाके ग्राम छावर को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2049–52, 2069–72, 2073–76 नामांतरकरण संख्या 263/08.05.1990 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को गलत नोटिस दिया गया है। प्रार्थी की गैरखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा बारानी ग्राम छाबर तहसील मासलपुर स्थित है जिसका एलोटमेंट प्रार्थी के नाम दिनांक 02.06.1988 को ग्राम छाबर में हुआ था जिसमें कुंआ के लिए एक बिस्वा जमीन भी ऐलोटमेंट अलग से की गयी थी उक्त जमीन को प्रार्थी तभी से लगातार काश्त करता चला आ रहा है रबी व खरीफ की फसल काश्त की है अब भी मौके पर कोई नाला नही है प्रार्थी ने उक्त उबड–खाबड जमीन को लेवल कराने में लाखों रूपये खर्च कर दिए लाखों रूपयें लगाकर एक कुंऐ का निर्माण कराया गया है तथा सरकार से कुंऐ के लिये लीज डीड 23.10.1989 को प्रार्थी के हक में

जिला कलक्टर
करौली

उपपंजीयन अधिकारी मासलपुर ने तस्दीक की है सारे कागजातों की फोटोप्रति दर0 के साथ संलग्न है। प्रार्थी की जमीन से अब सरकार का किसी प्रकार का संबंध ताल्लुक नही है। प्रार्थी की जमीन को गलत तरीके से नाला किस्म की जमीन बताया जा रहा है जबकि ये जमीन पूर्व में सिवायचक बारानी जमीन चली आ रही है। कभी भी किसी भी प्रकार का नाला नही बहा है। मौके पर हमेशा काश्त जमीन रही है। ऐलोटमेंट पूर्व से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी को गलत नोटिस दिया गया है यह जमीन धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेफरेंस बनाने योग्य नही है। यह जमीन मेरी खातेदारी में दर्ज की जाये। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 2–05 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 263 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 148 किस्म बारानी–2 रकबा 2–05 श्री सुमेर पुत्र मानिक जाति मीना निवासी रतियापुरा के नाम दिनांक 08.05.1990 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 148 किस्म बारानी–2 रकबा 2–05 श्री सुमेर पुत्र मानिक जाति मीना निवासी रतियापुरा गैर खातेदार अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम छावर की आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 2–05 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली